न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 29/2022

अपीलार्थीगण

1. पिंकी मिश्रा पत्नि श्री अमृत लाल, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, हाल निवासी– ए 2 अधिकार सोसायटी–1 डी केबीन साबरमती, अहमदाबाद (गुजरात)
2. रितु मिश्रा पुत्री श्री अमृत लाल, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, हाल निवासी– ए 2 अधिकार सोसायटी–1 डी केबीन साबरमती, अहमदाबाद (गुजरात)
3. रिया मिश्रा पुत्री श्री अमृत लाल, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, हाल निवासी– ए 2 अधिकार सोसायटी–1 डी केबीन साबरमती, अहमदाबाद (गुजरात)
4. सागर मिश्रा पुत्र श्री अमृत लाल, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, हाल निवासी– ए 2 अधिकार सोसायटी–1 डी केबीन साबरमती, अहमदाबाद (गुजरात)

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, कैलाशनगर, जिला– सिरोही
2. चम्पकलाल पुत्र श्री चन्द्र देव, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मनाादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, हाल निवासी– ए 2 अधिकार सोसायटी–1 डी केबीन साबरमती, अहमदाबाद (गुजरात)
3. उर्मिला पुत्री श्री चन्द्र देव पत्नि वागेश्वरी पाण्डे, जाति– ब्राह्मण, निवासी– डी–224 तेजेन्द्र पार्ट–7 उमाभवानी ट्रगड रोड, चान्दखेडा, अहमदाबाद (गुजरात)

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव, अपीलार्थीगण की ओर से
(2) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 31 मई, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा ग्राम मनादर, पटवार हल्का मनादर प्रथम के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3598 दिनांक 14.12.2021 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय समयावधि अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–1(एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुये। अतः प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:51:10 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलार्थीगण की अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मनादर, पटवार हल्का मनादर प्रथम, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के खसरा संख्या 933 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा व 966 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि आई हुई, जो अपीलार्थी संख्या–1 के ससुर व अपीलार्थी संख्या 2 से 4 के दादा एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पिता चन्द्र देव पुत्र दिनेश्वरजी, जाति– ब्राह्मण के खातेदारी व कब्जे मालिकी थी। चन्द्र देव पुत्र दिनेशवर जी, जाति– ब्राह्मण की मृत्यु दिनांक 29.11.2015 को होने के बाद उक्त भूमि में अपीलार्थी संख्या–1 के पति व अपीलार्थी संख्या 2 से 4 के पिता अमृतलाल एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 समान रुप से अपने हक हिस्से अनुसार बिना रुकावट व शान्तिपूर्वक काबिज होकर खेती करते आ रहे थे एवं स्वर्गीय अमृतलाल जो की अपीलार्थी संख्या–1 के पति व अपीलार्थी संख्या 2 से 4 के पिता है जिनकी मृत्यु दिनांक 28.12.2016 को होने के बाद उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त एवं खेती करते आ रहे है। स्वर्गीय चन्द्र देव मिश्रा पुत्र दिनेशवर जी, जाति– ब्राहमण के वारिसान चम्पक लाल (पुत्र), उर्मिला (पुत्री) व अमृत लाल (पुत्र) है। अमृत लाल पुत्र चन्द्र देव मिश्रा की मृत्यु हो जाने से अमृत लाल पुत्र चन्द्र देव मिश्रा के वारिसान अपीलार्थीगण पिंकी मिश्रा, रिया मिश्रा, रितु मिश्रा व सागर मिश्रा है। यह कि उक्त भूमि के खातेदार चन्द्र देव पुत्र दिनेश्वर जी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के नामान्तरकरण संख्या 3598 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा उक्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई है, जबकि चन्द्र देव पुत्र दिनेश्वर जी ब्राह्मण के विधिक वारिसान में अपीलार्थीगण स्वर्गीय अमृत लाल की पत्नि पिंकी मिश्रा, पुत्र सागर मिश्रा व पुत्रियां रितु व रिया तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 है, जिनका मृतक खातेदार चन्द्र देव पुत्र दिनेश्वर जी ब्राह्मण की उक्त कृषि भूमि में समान रुप से हक हिस्सा होकर काबिज काश्त है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार चन्द्र देव पुत्र दिनेशवर जी ब्राह्मण के सभी विधिक वारिसान उक्त कृषि भूमि में समान रुप से 1/3 हक हिस्से के समान रुप से खातेदार कृषक होते है, लेकिन हल्का पटवारी, मनादर द्वारा खातेदार चन्द्र देव पुत्र दिनेश्वर जी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 3598 केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के हक में ही दायर किया गया, जिसमें अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नही किया गया है। पटवारी हल्का, मनादर को मृतक खातेदार चन्द्र देव पुत्र दिनेश्वर जी ब्राह्मण के सभी विधिक वारिसान अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के नाम से नामान्तरकरण दायर करना चाहिये था, लेकिन पटवारी हल्का, मनादर ने मृतक खातेदार चन्द्र देव पुत्र दिनेश्वर जी ब्राह्मण के कानूनी वारिसान के संबंध में जांच किये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 3598 दायर किया गया एवं उप तहसीलदार, कैलाशनगर ने भी जांच किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण दिनांक 14.12.2021 को स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। यह कि पटवारी हल्का, मनादर द्वारा उक्त नामान्तरकरण को दायर करने से पूर्व एवं उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। यह कि अपीलार्थीगण को नामान्तरकरण प्रक्रियाओं व कानूनी जानकारी से अनभिज्ञ है जिससे अपीलार्थीगण इस विश्वास में रहे कि चन्द्रदेव की मृत्यु के बाद एवं अमृतलाल पुत्र चन्द्र देव जी की मृत्यु के बाद उनका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया है। यह कि अपीलार्थीगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में दिनांक 08.8.2022 को पटवारी हल्का से नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर हुई है एवं अपीलार्थीगण ने जानकारी होने के अन्दर मियाद 30 दिन में अपील प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थीगण

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:51:10 IST
Reason: SelfAttested

की कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा ग्राम मनादर, पटवार हल्का मनादर प्रथम के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3598 दिनांक 14.12.2021 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, शिवगंज को अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या– 2 व 3 के पक्ष में नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने हेतु आदेशित किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि खातेदार चन्द्र देव पुत्र दिनेश्वर जी ब्राह्मण, निवासी– मनादर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का नामान्तरकरण संख्या 3598 पटवारी हल्का, मनादर द्वारा दायर किया गया, जिसे उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा दिनांक 14.12.2021 को स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम मनादर, पटवार हल्का मनादर के खसरा संख्या 933 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा व खसरा संख्या 966 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार श्री चन्द्रदेव पुत्र दिनेश्वर जी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मनादर की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार चन्द्रदेव पुत्र दिनेश्वर जी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मनादर की उक्त कृषि भूमि का पटवारी हल्का, मनादर प्रथम द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 क्रमशः चम्पकलाल पुत्र चन्द्रदेव एवं उर्मिला पांडे पुत्री चन्द्रदेव, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मनादर के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 3598 दायर किया गया, जिसे उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा दिनांक 14.12.2021 को स्वीकृत किया गया है। उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 3598 दिनांक 14.12.2021 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01.9.2022 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 3598 दिनांक 14.12.2021 के विरुद्ध यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण ने उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3598 दिनांक 14.12.2021 के संबंध में सर्वप्रथम दिनांक 08.8.2022 को नामान्तरकरण की नकल लेने पर जानकारी होना एवं जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। अपीलार्थीगण ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में अपीलार्थी पिंकी मिश्रा का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसके विपरित तथ्यों का कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही हुआ है एवं न ही धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के खातेदार चन्द्रदेव पुत्र दिनेश्वर जी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मनादर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 3598 पटवारी हल्का, मनादर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 क्रमशः चम्पकलाल पुत्र चन्द्रदेव एवं उर्मिला पांडे पुत्री चन्द्रदेव, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मनादर के पक्ष में दायर किया गया, जिसे उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा दिनांक 14.12.2021 को स्वीकृत किया गया है। जबकि अपीलार्थीगण

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:51:10 IST
Reason: SelfAttested

की ओर से अपील में अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज अमृत लाल पुत्र चन्द्र देव मिश्रा का अहमदाबाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में अमृत लाल के पिता का नाम चन्द्रदेव मिश्रा एवं मृत्यु की दिनांक 28.12.2016 अंकित है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अपीलार्थीगण के आधार कार्ड की छाया प्रतियों के अवलोकन से यह पाया गया कि अपीलार्थी पिंकी मिश्रा के आधार कार्ड में पति का नाम अमृतलाल एवं अपीलार्थी सागर मिश्रा के आधार कार्ड में पिता का नाम अमृतलाल अंकित है तथा अपीलार्थी रिया मिश्रा के आधार कार्ड में पिता का नाम अमरतलाल वं अपीलार्थी ऋतु मिश्रा के आधार में पिता का नाम अमरत भाई अंकित है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अपीलार्थी संख्या 2 से 4 के शैक्षणिक दस्तावेज अंक तालिकाओं की नोटेरी प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह पाया गया कि इन अंक तालिकाओं में भी अपीलार्थी रिया मिश्रा, रितु मिश्रा व सागर मिश्रा के पिता का नाम अमृतलाल अंकित है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण मृतक खातेदार चन्द्र देव पुत्र दिनेश्वर जी, जाति– ब्राह्मण के पुत्र अमृतलाल की पत्नि, पुत्रीयां व पुत्र है। ऐसी स्थिति में, मृतक खातेदार चन्द्र देव पुत्र दिनेश्वर जी, जाति– ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत करना चाहिये था, लेकिन मृतक खातेदार चन्द्र देव पुत्र दिनेश्वर जी, जाति– ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण केवल प्रत्यर्थी संख्या–2 व 3 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो विधि अनुरुप नही है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने व साबित होने से स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा ग्राम मनादर, पटवार हल्का मनादर प्रथम के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3598 दिनांक 14.12.2021 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार चन्द्र देव पुत्र दिनेश्वर जी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के विधिक वारिसानों की जांच करे एवं अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि अनुरुप नये सर नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31 मई, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:51:10 IST
Reason: SelfAttested